न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम नं. – 2023/365
मुकदमा नम्बर 98/2023

दर्ज दिनांक–05.09.2023

कमला देवी पत्नी विधाधर जाति जाट निवासी ग्राम नया परसरामपुरा,तहसील नवलगढ़ जिला झुझुंनू

बनाम

भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ जिला झुझुंनू

वकील आवेदक : – श्री प्रदीप झाझडिया
अनावेदक – पेरो.राज

<u>प्रार्थना–पत्र(पत्थरगढ़ी) अन्तर्गत धारा 111,128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 04.10.2024

प्रार्थी द्वारा प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया कि, ग्राम नया परसरामपुरा पटवार हल्का परसरामपुरा की सरहद में आराजी खसरा नं. 1417/1066 रकबा 0.3400 है0, खसरा नं. 1420/1063 रकबा 0.2250 है0 की सीमाओं पर स्थाई सीमा चिन्ह कायम किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक की और से पैरो. राज. उपस्थित हो कोई एतराज प्रस्तुत नही किया।

बहस एक पक्षीय पेश होने पर बगौर सुनी गई। वकील आवेदक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। लिहाजा न्यायालय को यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि राजस्व कार्मिको द्वारा तैयार सीमाज्ञान शुद्व है। अतः प्रार्थी का प्रा0 पत्र पत्थरगड्डी मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 16/06/2023 स्वीकार किया जाकर, राजस्व ग्राम नया परसरामपुरा पटवार हल्का परसरामपुरा की सरहद में भूमि खसरा नं. 1417/1066 रकबा 0.3400 है0, खसरा नं. 1420/1063 रकबा 0.2250 है0 की सीमाओं पर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगड्डी करवाये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि, नियमानुसार शुल्क राजकोष मे जमा कर उक्त सम्बन्ध मे जो भी हितबद्व आवश्यक पक्षकार व खातेदार हो उनकी मौजूदगी मे पत्थरगड्डी करे। यदि आदेश कि पालना हेतु आवश्यक हो तो पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त करली जावे, जिसका आवश्यक होने समस्त खर्चा आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 04/10/2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू

Scanned with CamScanner